न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

मु.सं. 77 / 2024 / प्रार्थना पत्र 6(ए)

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, धोद जिला सीकर

– प्रार्थी

बनाम

सत्यनारायण पुत्र महादेव प्रसाद उम्र 61 वर्ष जाति धाबाई निवासी ग्राम सिहोट छोटी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

– अप्रार्थी

आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

निर्णय दिनांक– 31.07.2025

प्रवर्तन निरीक्षक, धोद जिला सीकर की ओर से एक आवेदन अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन का संक्षेप सार इस प्रकार है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर के आदेश दिनांक 17.09.2024 के संदर्भ में दिये गये निर्देश की पालना में पंचायत समिति धोद में घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरुपयोग की देवनारायण होटल एण्ड फैमेली रेस्टोरेन्ट सिहोट छोटी, धोद में जांच की गई, जिसमें मौके पर होटल के संचालक श्री सत्यनारायण उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में जांच करने पर निम्न तथ्य पाये– होटल परिसर में चाय, नाश्ता, खाना बनाने के लिये भारत गैस के 03 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा होटल में उपयोग में लिये जा रहे थे। मौके पर उपस्थित होटल संचालक श्री सत्यनारायण से इनके कागजात के संबंध में पूछताछ की गई जिसमें इनके द्वारा कनेक्शन संबंधी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये। घरेलू गैस सिलेण्डर (क्षमता 14.2 किग्रा) के दुरुपयोग के संबंध में पूछताछ करने पर मौके पर उपस्थित होटल संचालक श्री सत्यनारायण द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया जिस पर धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त कुल 03 घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त कर कब्जे में लिया गया। मौके पर जब्त गैस सिलेण्डर 03 सुपुर्दगी में विक्रम गैस एजेन्सी, सीकर के मैनेजर श्री वसीम खान को सुपुर्दगी में दिये गये। मौके पर फर्द चैकिंग, फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। जब्त 03 गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	सिलेण्डर का एस. आर. क्रमांक / मार्का	सील / अनसील्ड सरकारी तेल कम्पनी का नाम	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार / क्षमता किग्रा में	खाली सिलेण्डर का उपदर्शित भार / टेयर वेट किग्रा में	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्रा में	शुद्व गैस का भार किग्रा में	वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	882145T	सील भारत गैस	14.2	15.9	17.00	1.1	—
2	29482S	सील भारत गैस	14.2	15.8	24.00	8.2	—
3	750725T	सील भारत गैस	14.2	15.8	26.00	10.2	—

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.05 16:20:54 IST
Reason: SelfAttested

द्रवित गैस ज्वलनशील पदार्थ है, जिसका निस्तारण धारा 6ए(2) ईसी एक्ट के तहत शीघ्र निस्तारण किये जाने के आदेश फरमावें। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश फरमावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रिजस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर विस्तृत जवाब पेश किया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया गया कि "प्रार्थी/जवाबदाता के द्वारा ग्राम सिहोट छोटी में एक होटल श्री देव नारायण फैमेली होटल के नाम से कर रखी है, जो होटल हाल ही में दिनांक 15.09.2024 को ही चालू की है। जिसमें प्रार्थी/जवाबदाता के द्वारा विधिवत् व्यवसायिक गैस कनेक्शन भी प्राप्त किया हुआ है, जिस व्यवसायिक गैस कनेक्शन के तहत प्राप्त व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का उपयोग ही प्रार्थी/जवाबदाता के द्वारा सदैव किया जाता रहा है। प्रार्थी/जवाबदाता के उक्त होटल पर काम करने वाले स्टॉफ मय परिवार होटल में ही आवास निवास करता है, जिनके निजी उपयोग हेतु प्रार्थी/जवाबदाता के द्वारा अपने स्वयं के घरेलू गैस कनेक्शन का सिलेण्डर क्रमांक– 88214ST उक्त स्टॉफ व उसके परिवार को दिया गया था। जिसे प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जब्त कर लिया गया। इसके अतिरिक्त जब्तशुदा अन्य दो सिलेण्डर प्रार्थी के द्वारा स्वयं के निजी उपयोग हेतु भरवाये गये थे, गैस डिलीवरी की गाड़ी प्रार्थी/जवाबदाता के घर के पास नही जाती है, इस कारण प्रार्थी सुबह अपने घर से आते समय खाली सिलेण्डर लेकर आया था, जिन्हें डिलीवरी मैन को देकर दो भरे हुये गैस सिलेण्डर क्रमांक– 29482S व क्रमांक– 750725T प्रार्थी/जवाबदाता द्वारा प्राप्त किये गये थे, जिन्हें भी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा गलत रूप से जब्त कर लिया गया। इस कारण से प्रार्थी को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6(ए) के तहत दोषी नहीं मानते हुये कार्यवाही को निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थी/जवाबदाता के द्वारा अपनी होटल की व्यवसायिक गतिविधियों में व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का ही उपयोग किया जाता है, किन्तु प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थी के स्वयं के निजी घरेलू उपयोग हेतु सुविधा की दृष्टि से होटल पर रखे गये गैस सिलेण्डर को जब्त कर लिया गया। प्रार्थी का उक्त घरेलू सिलेण्डर को अपने होटल की व्यवसायिक गतिवधियो में उपयोग लेने का कोई उद्देश्य नही रहा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के उक्त तीन किता सिलेण्डर का उद्देश्य किसी भी प्रकार से व्यवसायिक उपयोग में नहीं होने के कारण प्रार्थी को उक्त तीन किता सिलेण्डर वापस दिलवाये जावें। प्रार्थी भविष्य में अपनी व्यवसायिक होटल पर व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का ही उपयोग करेगा। जिस हेतु प्रार्थी वचनबद्ध है। प्रार्थी के विरूद्ध प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 06 (ए) के तहत की गयी कार्यवाही को निरस्त किया जावें।"

अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जवाब से सहमत होने पर प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जवाब से सहमत होने पर प्रतीत होता है कि जवाबदाता के उक्त होटल पर काम करने वाले स्टॉफ मय परिवार होटल में ही आवास–निवास करने से जिनके निजी उपयोग हेतु एक घरेलू गैस कनेक्शन का सिलेण्डर व अन्य दो सिलेण्डर प्रार्थी के द्वारा स्वयं के निजी उपयोग हेतु भरवाये जाने हेतु रखे गये थे। अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जब्त शुदा सिलेण्डरों को सत्यनारायण पुत्र महादेव प्रसाद उम्र 61 वर्ष जाति धाबाई निवासी ग्राम सिहोट छोटी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर को वापिस नियमानुसार लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 3/ .07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.05 16:20:54 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर